पंजाब केसरी 20/11/2024

नालसा विकलांग बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं योजना-2021 पर व्याख्यान आयोजित

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र–छात्राएं। (देवदत्त)

अम्बाला, 19 नवम्बर (बलराम): गांधी मैमोरियल नैशनल कॉलेज, अम्बाला छावनी के कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को कॉलेज प्रांगण में नालसा, विकलांग बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं योजना–2021 पर एक विस्तार व्याख्यान का सफल आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम कॉलेज प्राचार्य डा. रोहित दत्त और संयोजक डा. सुरेंद्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। इस व्याख्यान में 50 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया और कानूनी सेवाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन प्रो. जस्मिता हांडा द्वारा कुशलता से किया गया एवं प्रो. रीतिका ने तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुति और इंटरएक्टिव तत्वों को सहज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस सत्र में छात्रों को नालसा योजना के तहत विकलांग बच्चों के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। व्याख्यान में योजना की महत्वपूर्ण धाराओं और व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। छात्रों ने इस कार्यक्रम को एक मूल्यवान शैक्षणिक अवसर बताया और अपनी कानूनी समझ को बेहतर बनाने के लिए इसकी सराहना की। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ ने भविष्य में भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित करने का आश्वासन दिया।